भारत सरकार

खान मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3576

03 अप्रैल, 2017 को उत्तर के लिए

खनिज रॉयल्टी का भुगतान

3576. श्री महेश पोद्दार :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सच है कि खनिज संपन्न राज्यों के जिलों को खनिज रॉयल्टी देने का प्रावधान लागू किया गया है तथा इस राशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रदान की गई राशि तथा मार्गदर्शिका का ब्यौरा क्या है और प्रदान की गई राशि के उपयोग की अद्यतन स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

खान, विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ख) : खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम, 1957) को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था । संशोधन प्रावधानों में से एक संशोधन का संबंध धारा 9(ख) को शामिल करने से है जिसमें खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित किसी भी जिले में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना की व्यवस्था है । डीएमएफ का उद्देश्य खनन संबंधी कार्यकलापों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए कार्य करना है । खनन पट्टाधारियों और पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टाधारियों द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) में अंशदान की दरों को निर्धारित करने के लिए, खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9ख के तहत खनिज (जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान) नियम, 2015 बनाया गया है । उक्त नियमों को दिनांक 17.09.2015 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया है । उक्त नियमों के अनुसार प्रत्येक खनन पट्टाधारी अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टाधारी, रॉयल्टी के अतिरिक्त, उस जिले के जिला खनिज फाउंडेशन में भी निम्न दर के अनुसार भुगतान करेगा, जिसमें खनन कार्यकलाप किए जाते है : -

(i) 12 जनवरी, 2015 को अथवा उसके बाद प्रदान किए गए खनन पट्टा अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा, जैसा भी मामला हो, के संबंध में खान और खनिज (विकास

और विनियमन)अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची के अनुसार में देय रॉयल्टी का दस प्रतिशत; और

(ii) 12 जनवरी, 2015 से पहले प्रदान किए गए खनन पट्टों के संबंध में उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार देय रॉयल्टी का तीस प्रतिशत ।

डीएमएफ में अंशदान के रूप में अधिसूचित राशि सीधे राज्य सरकारों द्वारा एकत्र की जाती है और संबंधित डीएमएफ में जमा की जाती है ।

राज्यों को डीएमएफ के कार्यान्वयन में सहयोग देने के लिए, केंद्र सरकार ने डीएमएफ द्वारा सृजित निधियों का उपयोग करके, खनन संबंधी कार्यकलापों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के कल्याण के उद्देश्य से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) शुरू की है । इस संदर्भ में, एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 20क के तहत दिनांक 16.09.2015 को निदेश जारी किए हैं जिसमें राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा डीएमएफ के लिए बनाए जाने वाले नियमों में पीएमकेकेकेवाई को शामिल करने के निदेश दिए हैं ।

डीएमएफ के अंतर्गत निधि का कम से कम 60% उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए किया जाएगा जैसे : (i) पेयजल आपूर्ति; (ii) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रक उपायों; (iii) स्वास्थ्य देखभाल (iv) शिक्षा (v) महिला एवं बाल कल्याण, (vi) वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों के कल्याण (vii) कौशल विकास; और (viii) स्वच्छता । निधि की शेष राशि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा : (i) भौतिक आधारभूत संरचना; (ii) सिंचाई (iii) ऊर्जा एवं वाटरशैड विकास; और (iv) खनन जिलों में पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाने के अन्य उपाय ।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9ख की उप-धारा (3) के अनुसार डीएमएफ की संरचना और कार्य के साथ-साथ इन निधियों के उपयोग के तरीकों संबंधी नियमों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है । देश में डीएमएफ में एकत्रित समस्त राशि के साथ-साथ डीएमएफ के अंतर्गत शुरू की गई स्कीमों/कार्यक्रमों का ब्यौरा खान मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है ।

तथापि, मंत्रालय को उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, अभी तक, देश में 11 खनिज समृद्ध राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलांगाना में 287 जिलों में डीएमएफ की स्थापना कर दी गई है और कुल 5817 करोड़ रू. की राशि डीएमएफ के अंतर्गत संग्रहित हुई है ।

*****